

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—194 / 2019

अन्नपूर्णा देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री शुभम मिश्रा, एस०सी०-II के ए०सी०

03/02.08.2019 यह याचिका त्रुटिपूर्ण है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इस याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

अनुमति दी जाती है।

इस याचिका को वापस लेने के कारण खारिज किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया०)